न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र रसद संख्या: 04/2021
दायर दिनांक: 12.10.2021
निर्णय दिनांक 08.07.2025

—:अनवान:—

राज्य सरकार जरिये, नरपत सिंह, वृताधिकारी वृत कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
— **प्रार्थी**

—:: बनाम ::—

श्री बलवीरसिंह पिता प्रदीपसिंह मेड़तिया राजपूत निवासी मकान नम्बर 4जी 24 चन्द्रशेखर आजाद नगर भीलवाड़ा थाना प्रतापनगर जिला भीलवाड़ा — **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे जब्त शुदा अवैध तरल पदार्थ 8200 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एवं परिवहन किये जाने वाले से जप्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात कराने बाबत।

उपस्थित:—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री प्रकाश बंजारा, अप्रार्थी अधिवक्ता

निर्णय

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.9.2021 को श्री भवानी शंकर उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना चारभुजा ने मन् वृत्ताधिकारी वृत कुम्भलगढ़ को जरिये मोबाइल पर सूचना दी तथा एसओजी टीम उदयपुर ने जरिये मोबाईल सूचना दी कि नेशनल हाईवे 8 किनारे स्थित होटल शिव शक्ति होटल परिसर में मिलावटी तरल पेट्रोलियम पदार्थ रखने की सूचना मिली है मौके पर शिव शक्ति होटल लाम्बोडी पर उपस्थित आवे जिस पर मन भवानी शंकर उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना चारभुजा मय जाप्ता के थाने से रवाना हो नेशनल हाईवे 8 किनारे स्थित होटल शिवशक्ति परिसर पहुंचा जहां पर एसओजी टीम उपस्थित मिली। जिस पर एसओजी टीम व मेरे द्वारा होटल परिसर के बाहर चैक करने पर एक टेंकर व पीकअप में तरल पेट्रोलियम पदार्थ, भरा हुआ पाया गया है। जिस पर उक्त तरल पेट्रोलियम पदार्थ, के मिलावटी होने की आशंका होने से इसकी जांच करवाने हेतु निकटतम पेट्रोल पम्प प्रतिनिधी तथा जिला रसद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिकारी को सूचना दी गई है। वक्त रात्री होने से उक्त दोनों के आने तक मौके पर उक्त टेंकर व पीकअप को पुलिस जाप्ते की निगरानी में सुरक्षित रखा गया है। जिसपर आज दिनांक 19.09.21 को जिला रसद विभाग से प्रवर्तन अधिकारी श्री विजय सिंह के मोके पर आने पर मन नरपतसिह वृताधिकारी मय अनुसन्धान बोक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के वृत कार्यालय कुम्भलगढ़ केम्प गोमती से रवाना हो मौके पर पहुंचा जहां पर श्री भवानीशंकर थानाधिकारी थाना भारभुजा मय जाप्ता के शिवम इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प चारभुजा के प्रतिनिधी श्री शम्भुलाल उपस्थित है। तथा पुलिस द्वारा डिटेनशुदा टैंकर मय पिकअप होटल शिवशक्ति परिसर में खड़े है। तथा टेकर ड्राईवर उपस्थित है। जिस पर मौके पर उक्त टेंकर व पिकअप की तलाशी हेतु स्वतंत्र मौतबिर प्रवर्तन अधिकारी श्री विजय सिंह व पट्रोल पम्प प्रतिनिधी श्री शम्भुलाल को मोतबिर मामुर किया जाकर टेंकर ड्राईवर को उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम बलवीरसिंह पिता प्रदीपसिंह जाति मेडतिया राजपूत उम्र 40 साल निवासी मकान नम्बर 4जी 24 चन्द्रशेखर आजाद नगर भीलवाडा थाना प्रतापनगर जिला भीलवाडा बताया जिसपर शिव शक्ति होटल परिसर में खड़े टेंकर नम्बर RJ 22 GA 8796 की तलाशी ली गई तो उक्त टेंकर में तीच चेम्बर होकर आगे के दो चेम्बर (तरल पेट्रोलियम पदार्थ से) भरे हुए एवं पास ही एक बोलेरो पीकअप बिना नम्बरी बरंग सफेद खड़ी होकर उक्त पीकअप की पीछे की पैक बॉडी होकर देखा तो उक्त पिकअप की पैक बॉडी में दी घनाकार प्लास्टिक की टंकिया जिसमे एक टंकी में कुछ तरल पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ मिला। जिस पर टेंकर के ड्राईवर बलवीरसिह से जानकारी की गई तो उक्त दोनो वाहन टेंकर व पीकअप अपने होना बताया। एवं टेंकर व पीकअप में भरे तरल पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में पुछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। जिस पर टेंकर चालक बलवीरसिंह को उक्त दोनों वाहन टेंकर व पिकअप के कागजात व तरल पेट्रोलियम पदार्थ के बिल व कागजात के बारे में पुछा तो अपने पास कोई वैध कागजात नही होना बताया। तत्पश्चात पेट्रोल पम्प प्रतिनिधि द्वारा साथ लाई नाप हेतु डीप छड़ से नाप किया गया तो टेंकर के दोनों चेम्बर में 4–4 हजार लीटर तरल पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। एवं पिकअप के अन्दर आगे वाली टंकी खाली व पीछे वाली टंकी में 200 लीटर तरल पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। जो कुल 8200 लीटर हुआ। जिस पर पेट्रोल पम्प प्रतिनिधि श्री शम्भुलाल द्वारा साथ लाए गए स्टुमेन्ट से परीक्षण से उक्त तरल पेट्रोलियम पदार्थ का परीक्षण करने हेतु टेंकर के दोनो कम्पार्टमेन्ट व पीकअप में रखी हुई टंकी मे से 2–2 लीटर तरल पेट्रोलियम पदार्थ निकालकर एक बाल्टी में डालकर मिक्स कर उसकी डेन्सिटी चैक की गई तो 851.3 होना पाई गई। तथा उक्त पदार्थ को एक कटोरी में रख सावधानी से उसको जलाया गया तो ज्वलनशील प्रकृति का पाया गया। जो बलवीर सिंह के कब्जे में टेंकर व

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पीकअप में भरा पेट्रोलियम पदार्थ मिलावटी प्रकृति का होना पाया गया। तत्पश्चात बाल्टी में से नियमानुसार पेट्रोल पम्प प्रतिनिधी श्री शम्भूलाल द्वारा साथ लाए गए एल्युमिनियम के 1–1 लीटर के तीन कंटेनर में उक्त तरल पेट्रोलियम पदार्थ कमशः नमूना सेम्पल, कंट्रोल सेम्पल तथा अभियुक्त का सेम्पल निकाला गया। नंमुना सेम्पल एलुमिनियम डिब्बा को RDNO 214377 बरंग पीला नम्बर 1893250 बरंग पीला नम्बर 1893250 की सील लगाई जाकर एक लकड़ी के बॉक्स में रख लकड़ी के बॉक्स को सील नम्बर 1893222 से तथा कंट्रोल सेम्पल एलुमिनियम डिब्बा को RDNO 214377 बरंग पीला नम्बर 1893254 की सील लगाई जाकर एक लकडी यो बॉक्स में रख लकड़ी के बॉक्स को सील नम्बर 1893204 एवं अभियुक्त बलवीरसिंह का सेम्पल एलुनिनियम डिब्बा को RDNO 214377 बरंग पीला नम्बर 1893209 की सील लगाई जाकर एक लकड़ी के बॉक्स में रख लकडी के बॉक्स को सील नम्बर 1893269 से सील चीट किया गया। सेम्पल निकालने के बाद बाल्टी में बचा शेष पदार्थ को पुनः उन्ही टेंकर के कंटेनर में भरा गया टेंकर के दोनों पेट्रोलियम पदार्थ से मरे हुए चेम्बर व पीकअप में रखी प्लास्टीक की टंकी जिसमें मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ है, को भी सील चीट बंद किया गया। तत्पश्चात पीकअप की बॉडी में पीछे मिले एक प्लास्टीक का कीमा बरंग सफेद व एक लाल रंग की तरल पदार्थ निकालने की हाथ मशीन एवं टेंकर नं. आरजे 22 जीए 8796 जिसके चौसिस नम्बर 388002FZZ204572 इंजन नम्बर 00E62148701 एवं पीकअप बोलेरो बिना नम्बरी पेक बॉडी बरंग सफेद जिसके चैसिस नम्बर MAIZT2GLKH2B59840 इजन नम्बर GLH4B86328 मय पीकअप व टेंकर व उनमे भरे हुए तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ, प्लास्टीक किमा व तरल पदार्थ भरने व निकालने की हाथ मशीन को जरिये फर्द जप्ती के जप्त किया गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि टेंकर व पीकअप में संग्रहित 8200 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने की कृपा करें। चूंकि उक्त सामग्री शीघ्र ज्वलनशील वस्तु है जो धारा 6ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अंतिरम निस्तारण(नष्ट) करने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री प्रकाश बंजारा द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत कर उपस्थिति दी। प्रार्थी वाहन स्वामी के आवेदन पर टेंकर नं. आरजे 22 जीए 8796 को न्यायालय के आदेश दिनांक 27.09.2022 से उक्त वाहन, वाहन स्वामी को सुपुर्द किये जाने का निर्णय पारित किया गया तथा प्रकरण में जब्तशुदा पिकअप पर एयु स्मॉल फायनेंस बैंक से ऋण होने के कारण एयु स्मॉल फायनेन्स बैंक की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश पंचोली ने प्रार्थना पत्र मय वकालतनामा प्रस्तुत कर पिकअप को एयु स्मॉल फायनेंस बैंक को दिलवाये जाने हेतु निवेदन किया, उक्त

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र को सुना जाकर न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया तथा जब्तशुदा पिकअप के मालिक श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री हिरालाल निवासी अमरतिया को न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु नोटिस तामिल होने के पश्चात भी पिकअप मालिक न्यायालय में उपस्थित नही हुआ।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी पेरोकार सरकार के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी से टेंकर व पिकअप से 8200 लीटर मिलावटी ज्वलनशील तरल पेट्रोलियम पदार्थ नेशनल हाईवे नं. 8 किनारे स्थित होटल शिवशक्ति लाम्बोड़ी पर एसओजी टीम व थानाधिकारी चारभुजा द्वारा कारवाई कर जब्त किया गया व जांच करने पर उक्त पेट्रोलियम पदार्थ ज्वलनशील होना पाया गया। तथा ड्राईवर द्वारा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन संबंधी संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया तथा कोई वैध दस्तावेज/कागजात नहीं होना बताया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी से जब्तशुदा टेंकर व पीकअप में संग्रहित 8200 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने पर कोई आपत्ती जाहिर नही की हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व थानाधिकारी चारभुजा की फर्द मौका व जब्ती रिपोर्ट अनुसार दिनांक 18.09.2021 को अप्रार्थी से टेंकर व पीकअप में संग्रहित 8200 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया गया एवं मौके पर वक्त जांच उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के बारे में अप्रार्थी से जांच दल द्वारा वैध लाईसेंस व दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु न तो उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया और न ही मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के संग्रहण के संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र आदि उपलब्ध कराया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से भी अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क व प्रमाण पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से उपयोग किया जाना पाया जाता हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा जब्तशुदा टेंकर व पीकअप में संग्रहित 8200 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किया जाना उचित हैं। साथ ही जब्तशुदा पिकअप के मालिक श्री प्रकाशचन्द्र पिता श्री हिरालाल निवासी अमरतिया को न्यायालय द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु जारी

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नोटिस के तामिल होने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण जब्तशुदा पिकअप को भी राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 8200 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 8200 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे। तथा थानाधिकारी चारभुजा को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा पिकअप को नियमानुसार राजसात करने की कार्यवाही सुनिश्चित कर राशि राज्यमद में जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द तथा थानाधिकारी चारभुजा को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 08.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)